

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू. अ. /2024/ 2377

दिनांक 05/08/24

अनवान :-

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
मुराददान वगैरा	बनाम	सरदाराराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 145/2024

दिनांक : 05/08/2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र गुमाने का तला के मीजा गुमाने का तला के खेत खसरा सं 398/160 रकबा 07 0415 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ पट्टे, नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादिन भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के स्वरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू. अ. /2024/ 2378 to 81

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन 06
दिनांक 05/08/24

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण मुराददान वगैरा
3. विप्रार्थीगण सरदाराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/मेडवा



सुरजभान बिशोई
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन